"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 260 ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 6 सितम्बर 2011—भाद्र 15, शक 1933

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर, 2011 (भाद्रपद 15, 1933)

क्रमांक-10460/वि.स./विधान/2011.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 14 सन् 2011) जो दिनांक 06 सितम्बर, 2011 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-<br>
**(देवेन्द्र वर्मा)**<br>
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 14 सन् 2011)

# छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान ( संशोधन ) विधेयक, 2011

**छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 ( क्रमांक 25 सन् 1991 ) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.**

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

**संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2011 है.

(2) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे.

**तृतीय अनुसूची का संशोधन.**

2. छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की तृतीय अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

| क्र.<br>(1) | यानों का वर्णन<br>(2) | किसी विनिर्माता या व्यापारी के कब्जे में के प्रत्येक वाहन के लिये वार्षिक कर<br>(3) |
|---|---|---|
| 1. | मोपेड एवं मशीनयुक्त साइकिल (इंजन क्षमता 50 सी.सी. से अनधिक) | रु. 20.00 |
| 2. | मोपेड एवं मशीनयुक्त साइकिल से भिन्न मोटर साइकिल | रु. 30.00 |
| 3. | तिपहिया वाहनों के लिये | रु. 100.00 |
| 4. | हल्का मोटरयान जिसमें चेसिस भी सम्मिलित है | रु. 600.00 |
| 5. | मध्यम यात्री वाहन जिसमें चेसिस भी सम्मिलित है | रु. 700.00 |
| 6. | मध्यम मालयान जिसमें चेसिस भी सम्मिलित है | रु. 700.00 |
| 7. | भारी यात्री वाहन जिसमें चेसिस भी सम्मिलित है | रु. 1250.00 |
| 8. | भारी मालयान जिसमें चेसिस भी सम्मिलित है | रु. 1250.00 |
| 9. | विशिष्ट विवरण के अन्य कोई मोटरयान | रु. 1000.00 |

# उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 4 के अनुसूची-तीन में ऐसी वाहनों जो किसी विनिर्माता या व्यापारी के आधिपत्य के विक्रय हेतु रखी गई है, के लिये वार्षिक कर की दर प्रथम सात वाहनों के लिये एवं तत्पश्चात् अतिरिक्त सात या कम वाहनों के लिये निर्धारित है. संभावित कर अपवंचन को रोकने एवं व्यावहारिक कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से यह प्रस्तावित है कि विनिर्माता या व्यापारी के आधिपत्य में विक्रय हेतु रखी गई प्रत्येक वाहन के आधार पर कर का पुन:निर्धारण किया जावे. प्रतिवर्ष राज्य शासन को लगभग 3 करोड़ अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है.

तद्नुसार छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) उचित संशोधन हेतु प्रस्तावित है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर

तारीख 19-8-2011

**राजेश मूणत**
परिवहन मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

---

**"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"**

---

# उपाबंध

**छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 4 एवं तृतीय अनुसूची का उद्धरण निम्नानुसार है :—**

**धारा 4 - व्यापारी या विनिर्माता द्वारा देय कर—**

मोटरयान के विनिर्माता या व्यापारी द्वारा ऐसे मोटरयानों के संबंध में, जो केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1986 के अधीन मंजूर किये गये व्यापार प्रमाण-पत्र का प्राधिकार के अधीन ऐसे विनिर्माता या व्यापारी के रूप में उसके कारबार के अनुक्रम में उसके कब्जे में है, कर का संदाय प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों के बजाय तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट वार्षिक दरों से किया जाएगा.

## तृतीय अनुसूची

(धारा 4 देखिए)

| स. क्र. | यानों का वर्णन | किसी विनिर्माता या व्यापारी के कब्जे में प्रथम सात या कम यानों के लिये वार्षिक कर | किसी विनिर्माता या व्यापारी के कब्जे में के अतिरिक्त सात या कम यानों के लिये वार्षिक कर |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | मोपेड एवं मशीनयुक्त साइकिल (इंजन क्षमता 50 सी.सी. से अधिक) | रु. 1000.00 | रु. 1000.00 |
| 2. | मोपेड एवं मशीनयुक्त साइकिल से भिन्न मोटर सायकल | रु. 1250.00 | रु. 1250.00 |
| 3. | तिपहिया वाहनों के लिये | रु. 1250.00 | रु. 1250.00 |
| 4. | हल्का मोटरयान जिसमें चेसिस भी सम्मिलित है | रु. 1500.00 | रु. 1500.00 |
| 5. | मध्यम मोटरयान जिसमें चेसिस भी सम्मिलित है | रु. 1750.00 | रु. 1750.00 |
| 6. | भारी मोटरयान जिसमें चेसिस भी सम्मिलित है | रु. 2000.00 | रु. 2000.00 |
| 7. | अन्य मोटरयान | रु. 1250.00 | रु. 1250.00 |

**देवेन्द्र वर्मा**
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.